

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल

E-mail: mpse@mp.nic.in, Website: mpbse.nic.in
कार्या. टेलीफोन - (0755) 2551166-71, फैक्स - (0755) 2554398, 2552061

क्रमांक / प्रशा. / स्था. / ए-SE / 1830 / 2025

भोपाल, दिनांक 04/09/2025

// कार्यपालन यंत्री पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन //

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल में निम्नलिखित पद पर प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं :-

स.क्र.	पदनाम	नियुक्ति का प्रकार	कुल पद की संख्या	शैक्षणिक योग्यता
1.	कार्यपालन यंत्री	प्रतिनियुक्ति/संविदा	01	बी.ई. (सिविल/समकक्ष)

- 1- कार्यपालन यंत्री पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदक को मध्यप्रदेश शासन के विभागों/निगम/मण्डलों अथवा अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री के पद पर कम से कम 10 वर्ष का भवन निर्माण इत्यादि का कार्यानुभव होना आवश्यक है। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश शासन के विभागों/निगम/मण्डलों अथवा अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कार्यपालन यंत्री को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यपालन यंत्री के आवेदन प्राप्त न होने पर सहायक यंत्री के आवेदनों पर विचार किया जायेगा।
- 2- प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदक के विरुद्ध विभागीय जांच/प्रस्तावित नहीं है, तदाशय का घोषणा-पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत कराना होगा। घोषणा पत्र के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 3- उक्त पद पर संविदा नियुक्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन के विभागों/निगम/मण्डलों अथवा अर्द्ध शासकीय संस्थाओं से सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री (जिनका न्यूनतम 10 वर्ष का कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री पद पर अनुभव रहा हो) आवेदन कर सकेंगे।
- 4- सेवानिवृत्त उपरांत संविदा के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी होने के दिनांक को 63 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सेवक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आगामी 01 माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय/निगम/मण्डल/अर्द्धशासकीय विभागों की सेवा में कार्यरत अधिकारी आवेदन कर सकेंगे।
- 5- उक्त पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 02 वर्ष एवं संविदा की अवधि 01 वर्ष के लिये होगी। कार्य व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर एवं संबंधित विभाग की सहमति से इसमें 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी।
- 6- कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अथवा मण्डल को सेवाओं की आवश्यकता न होने पर कभी भी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर सेवायें मूल विभाग को वापस की जा सकेंगी एवं संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- 7- आवेदन के संबंध में अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- 8- कार्यपालन यंत्री पद हेतु गठित चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चयन संबंधी कार्यवाही संपादित की जायेगी। चयन के किसी भी चरण में चयन प्रक्रिया को निरस्त करने का सर्वाधिकार अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल को होगा।
- 9- प्रतिनियुक्ति/संविदा हेतु इच्छुक आवेदक दिनांक 19.09.2025 कार्यालयीन समय में सायं 5:30 बजे तक [E-mail:mpse@mp.nic.in](mailto:mpse@mp.nic.in) डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से सीधे कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। समय-सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 10- कार्यपालन यंत्री पद पर नियुक्ति से संबंधित मापदण्ड, सेवा शर्तें तथा वेतन/भत्ते इत्यादि एवं चयन प्रक्रिया, आवेदन-पत्र/घोषणा-पत्र का प्रारूप सह विस्तृत जानकारी मण्डल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर देखी जा सकती है।

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश

भोपाल

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/प्रशा./स्था./ए-SE /1831/2025

भोपाल दिनांक 04/09/2025

—:: मापदण्ड एवं सेवा-शर्तें ::—

1. कार्यपालन यंत्री के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु मापदण्ड/सेवा शर्तें :-

- (1.1). कार्यपालन यंत्री पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदक को मध्यप्रदेश शासन के विभागों/निगम/मण्डलों अथवा अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री के पद पर कम से कम 10 वर्ष का भवन निर्माण इत्यादि का कार्यानुभव होना आवश्यक है। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश शासन के विभागों/निगम/मण्डलों अथवा अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कार्यपालन यंत्री को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यपालन यंत्री के आवेदन प्राप्त न होने पर सहायक यंत्री के आवेदनों पर विचार किया जायेगा।
- (1.2). प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदक को आवेदन के साथ अपने मूल विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (1.3). प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदक के विरुद्ध विभागीय जॉच लंबित/प्रस्तावित नहीं है, तदाशय का घोषणा-पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त घोषणा पत्र के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (1.4). प्रतिनियुक्ति की अवधि 02 वर्ष के लिये होगी। कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अथवा मण्डल को सेवाओं की आवश्यकता न होने पर कभी भी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर सेवायें मूल विभाग को वापस की जा सकेंगी।
- (1.5). प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी पर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 लागू होंगे।
- (1.6). मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्यपालन यंत्री को वेतन, भत्ते इत्यादि उनके मूल विभाग के अनुरूप प्रदाय किये जायेंगे।
- (1.7). इस पद की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदनों में योग्य/न्यूनतम योग्यताधारी अभ्यर्थियों को गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर उनके मूल विभाग से सेवाकाल के अंतिम पांच (05) वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग एवं विभागीय जॉच इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जायेगी। मूल विभाग से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग में कम से कम तीन वर्षों में 'क' एवं इससे उच्च तथा एक भी वर्ष में 'घ' में न हो के अनुरूप होना चाहिये।

2. कार्यपालन यंत्री के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु मापदण्ड एवं सेवा शर्तें :-

- (2.1). कार्यपालन यंत्री पद हेतु मध्यप्रदेश शासन के विभागों/निगम/मण्डलों अथवा अर्द्ध शासकीय संस्थाओं सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री (जिनका न्यूनतम 10 वर्ष का कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री पद पर अनुभव रहा हो) आवेदन कर सकेंगे।
- (2.2). सेवानिवृत्त उपरांत संविदा के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी होने के दिनांक को 63 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके आवेदक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। विज्ञापित जारी होने की दिनांक से आगामी 01 माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय/निगम/मण्डल/अर्द्धशासकीय विभागों की सेवा में कार्यरत अधिकारी आवेदन कर सकेंगे।
- (2.3). उक्त पद पर संविदा की अवधि 01 वर्ष के लिये होगी। कार्य व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर एवं दोनों पक्षों की सहमति से इसमें 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेंगी।
- (2.4). ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के अधीन सेवानिवृत्त हुये आवेदनकर्ता को नियुक्ति पश्चात संविदा वेतन म. प्र. सिविल सेवा पदों पर संविदा पर नियुक्ति नियम-2017 के अन्तर्गत संविदा पर नियुक्त कार्यपालन यंत्री को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन एवं देय महंगाई भत्ते में से देय पेंशन एवं उस पर देय महंगाई राहत घटाने के पश्चात भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन होगा। पृथक से अन्य कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।

- (2.5). एनपीएस (NPS) एवं अन्य ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो कि ओपीएस से सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं के चयन उपरांत उन्हें सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम मासिक वेतन की 50 प्रतिशत राशि को पेंशन राशि माना जाकर देय पारिश्रमिक की गणना की जाकर (उक्त गणना सेवानिवृत्ति के समय जारी अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर की जावे अर्थात् सेवानिवृत्ति के पश्चात आगामी माहों से महंगाई भत्ते (डी.ए.) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।) संविदा वेतन/मानदेय प्रदाय किया जायेगा।

भविष्य में **NPS** एवं जिन विभागों/निगमों/मंडलों आदि में म.प्र. शासन के नियमों के अनुरूप पेंशन का प्रावधान नहीं है एवं अन्य के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हुये अधिकारी/कर्मचारी की संविदा नियुक्ति उपरांत वेतन निर्धारण के संबंध में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आगामी नियम/निर्देश लागू किये जायेंगे।

- (2.6). संविदा पर नियुक्त व्यक्ति पर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 लागू होंगे।
- (2.7). संविदा नियुक्ति उपरांत चयनित आवेदक को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी। साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि भी देय नहीं होगी।
- (2.8). संविदा नियुक्ति उपरांत चयनित आवेदक स्वयं के खर्च पर जिला चिकित्सालय बोर्ड द्वारा किये जाने वाला चिकित्सीय परीक्षण करवाकर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा। चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी अन्यथा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- (2.9). संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्षकार द्वारा एक माह का सूचना पत्र अथवा एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- (2.10). संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 45 दिवस तक प्रभावशील होगा इस अवधि में यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तो संविदा नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशून्य हो जायेगा। विशेष एवं अपरिहार्य कारण होने पर सचिव उक्त अवधि में छूट दे सकेंगे।
- (2.11). संविदा पर नियुक्त अधिकारी को शासन के नियमानुसार गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता होगी।
- (2.12). यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।
- (2.13). संविदा पर नियुक्त अधिकारी को मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी-5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 22.07.2023 के अन्तर्गत अवकाश की पात्रता होगी।
- (2.14). चयन के उपरांत चयनित अभ्यर्थी को न्यूनतम रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर 01 वर्ष के लिये अनुबंध निष्पादित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (2.15). संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी-5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 22.07.2023 के दिशा-निर्देश लागू होंगे।
3. प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त अधिकारी को पूर्णकालिक रूप से मण्डल कार्यालय में कार्यालयीन समय पर उपस्थित रहकर कार्य दायित्व निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
4. कार्यपालन यंत्री पद हेतु प्राप्त आवेदन एवं नियुक्ति के संबंध में अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
5. कार्यपालन यंत्री पद हेतु गठित चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चयन संबंधी कार्यवाही संपादित की जायेगी। चयन के किसी भी चरण में चयन प्रक्रिया को निरस्त करने का सर्वाधिकार अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल को होगा।

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल

भोपाल, मध्यप्रदेश

आवेदन पत्र क्र.....
विज्ञापन क्रमांक.....दिनांक...../...../.....

आवेदन- प्रपत्र

वर्तमान की
रंगीन, स्वप्रमाणित,
पासपोर्ट साईज
फोटो

(मण्डल में कार्यपालन यंत्री पद पर प्रतिनियुक्ति / संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रारूप)

1. आवेदित पद का नाम :- (Please Tick)

1. प्रतिनियुक्ति

☐

2. संविदा

☐

2. आवेदक का नाम :-

3. पिता/पति का नाम :-

4. जन्मतिथि :-

(अंको में)...../...../.....(शब्दों में).....

(10वीं / 12वीं परीक्षा की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

5. आयु :- आयु (वर्ष.....माह.....दिवस.....)
(विज्ञापन तिथि के समय)

6. श्रेणी :- अनारक्षित / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(OBC/SC/ST उम्मीदवार जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

7. स्थायी पता :-

पिन कोड.....

8. वर्तमान पता :-

पिन कोड.....

9. शैक्षणिक योग्यता :-

10. सेवा एवं अनुभव का विवरण :-

(i) मूल विभाग/वह विभाग
(जिससे सेवानिवृत्त हुये) :-

(ii) प्रथम नियुक्ति दिनांक :-

(iii) विभाग/संस्था का विवरण

(iv) यदि कार्यरत है तो वर्तमान पद :-

(v) यदि सेवानिवृत्त हुये हैं तो उस
पद का नाम जिससे सेवानिवृत्त हुये हैं :-

(vi) सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन :-

(vii) यदि सेवानिवृत्त है तो अंतिम वेतन :-

(वर्तमान पे-स्लिप एवं एलपीसी/पीपीओ की प्रति संलग्न करें।)

(viii) यदि कार्यरत है तो वर्तमान वेतनमान :-

(ix) वर्तमान मूल वेतन :- (नवीन पे-स्लिप की प्रति संलग्न करें)

11. पदवार अनुभव (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक) :-

(कृपया उस पद से शुरू करते हुये अनुभव सूचीबद्ध करें जिस पर आपने पहली बार ज्वाइनिंग दी थी)

सं. क्र.	विभाग का नाम	पदनाम	अवधि		भवन निर्माण इत्यादि कार्य का कार्यालयीन अनुभव वर्ष,माह,दिवस
			कब से	कब तक	

12. नियमित सेवा की कुल अवधि (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक)

.....वर्ष.....माह.....दिवस

13. कुल सेवा अवधि, भवन निर्माण इत्यादि कार्य में (कार्यपालन यंत्री पद पर)

.....वर्ष.....माह.....दिवस

14. कुल सेवा अवधि, भवन निर्माण इत्यादि कार्य में (सहायक यंत्री पद पर)

.....वर्ष.....माह.....दिवस

15. पेन कार्ड :-

16. मोबाईल नम्बर :-

17. ई-मेल आई डी :-

नोट :- समस्त आवश्यक दस्तावेज स्व-प्रमाणित कर संलग्न करें।

(आवेदक का हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :-

मोबाईल नम्बर :-

“घोषणा-पत्र”

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई अपराधिक कार्यवाही या विभागीय जाँच लम्बित नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन-पत्र और उसके अनुपूरक भागों तथा प्रमाणक संलग्नो में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। यदि भविष्य में किसी भी समय मेरे द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो उक्त पद के लिये मेरा चयन निरस्त किया जा सकता है और उचित कार्यवाही की जा सकती है। मैंने पहले ही अनुमति के लिये अपने मूल विभाग को सूचित कर दिया है।

दिनांक :-

स्थान :-

(आवेदक का हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :-

मोबाईल न. :-